

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उधार नीति-यातायात राजस्व
5 जून 2007 को भाविप्रा द्वारा अनुमोदित उधार नीति

1(क)	बिल जारी करने की अवधि	सभी एयरलाइंस के लिए पाक्षिक
(ख)	बिल जारी करने का सामान्य समय	दस (10) दिन
	उधार अवधि	
	विदेशी एयरलाइंस सहित सभी एयरलाइंस	बिल की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर
3	सुरक्षा प्रतिभूति	
(क)	राष्ट्रीय कैरियर इंडियन एयरलाइंस/ एलाइंस/ एयर इंडिया/ पवन हंस/ एटीओज, विदेशी एयरलाइंस	दो माह के बिल के बराबर
(ख)	सरकारी केन्द्रीय/राज्य	रुपये 1 लाख प्रति विमान
(ग)	छोटे प्रचालक	
i	नियमित	दो माह के बिल के बराबर धन राशि जमा करवाने पर
ii	गैर-नियमित	(i) नकद देने के पश्चात उडान भरने की इजाजत (ii) यह प्रचालक उधार सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो दो माह के प्रचालन के बराबर धनराशि जमा करवानी होगी।
4	लोक सैक्टर उद्यम	रुपये 1 लाख प्रति विमान
5	देरी से किए गए भुगतान के मामले में	
i	आई ए एल/ एलाइंस/एआई/पवन हंस	12 % प्रति वर्ष की दर से
ii	नियमित एयरलाइंस	-वही-
iii	विदेशी एयरलाइंस	-वही-
iv	छोटे प्रचालक	-वही-
v	भारत सरकार केन्द्रीय/राज्य सरकार	शुन्य
6	सेना के विमान :-	
i	भारत	प्रभारों के भुगतान की छुट
ii	विदेशी सेना का विमान	गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार